ग्राम पंचायत बोहनी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, 177023
के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025

भाग-1

1. **प्रस्तावना:-**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बोहनी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत बोहनी में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति अरुणा शर्मा	01.04.2024 से 31.03.2025

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री जगदेव शर्मा	01.04.2024 से 31.03.2025

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत बोहनी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.24 से 31.03.25 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.4	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अंतशेष के अंतर का	0.003

		समाधान न करना	
2	6.1	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	2.37
3	7.1	पंचायत का गृहकर/ सम्पत्ति कर वसूली हेतु शेष	0.01
4	8.1	आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना अनियमित भुगतान करना	9.61
5	8.2	संविदाकार/आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.25
6	9.1	मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत करवाए गये निर्माण कार्य हेतु अनियमित/अधिक भुगतान करना	0.12
7	9.2	पत्थर की खरीद में रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.05
8	9.3	माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	1.92

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

ग्राम पंचायत बोहनी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों के लिए अधियाचना संख्या 77/2025 दिनांक 31.05.2025 के प्रत्युतर में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अवगत करवाया कि हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला द्वारा ग्राम पंचायत बोहनी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर का यह **प्रथम** अंकेक्षण है।

भाग-2

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत बोहनी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री अमित कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक और श्री पुनीत कुमार (आर्टिकल सहायक) द्वारा दिनांक 31.05.2025 से 03.06.2025 तक ग्राम पंचायत बोहनी के कार्यालय में किया गया | आय-व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की अधिकतम आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2024-25	01/2025	05/2024

अस्वीकरण (Disclaimer) :- *इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।*

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत बोहनी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹4800/-** (15वें वित्तायोग के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक के ऑनलाईन ऑडिट के अंकेक्षण शुल्क सहित) आंका गया | अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 84/2025 दिनांक 03/06/2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा काँगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक सीमित, लम्बलू, हमीरपुर के DD NO – KAA 409365 दिनांक 16.06.2025, द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया है |

4. वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत बोहनी, द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 77/2025 दिनांक 31.05.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 के लेखों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट-1** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान (10) ऑनलाइन रोकड़ बहियों अर्थात स्व:स्त्रोत, अनुदान (प्लानिंग), विधायक क्षेत्र विकास योजना (VKVNY), विकेंद्रीयकित योजना कार्यक्रम (SDP), स्वच्छ भारत मिशन(SBM), इन्दिरा आवास योजना (IAY), केंद्रीय राहत कोष (CRF), 14 वें वितायोग, 15वें वित्तायोग व मनरेगा शीर्ष का रख-रखाव किया गया था।

(1) (क) स्व: स्त्रोत :-

ग्राम पंचायत बोहनी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक की स्व: स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष**	**आय ब्याज सहित**	**कुल योग (2+3)**	**व्यय**	**अंतिम शेष (4-5)**
1	2	3	4	5	7
2024-25	1216173.00	107480.00	1323653.00	169045.00	**1154608.00**

(ख) 15वें वित्तायोग:-

ग्राम पंचायत बोहनी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के 15वें वित्तायोग की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (2+3)	व्यय	अंतिम शेष (4-5)
1	2	3	4	5	7
2024-25	1525083.00	1261321.00	2786404.00	987172.00	1799232.00

(ग) अनुदान :-

ग्राम पंचायत बोहनी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के अनुदान की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (2+3)	व्यय	अंतिम शेष (4-5)
1	2	3	4	5	7
2024-25	341626.40	3629775.10	3971401.50	3734727.50	236674.00

(घ) संकलित वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत बोहनी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के संकलित वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

निधि	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अंत शेष (₹)
स्व: स्त्रोत निधि	2024-25	1216173.00	107480.00	1323653.00	169045.00	**1154608.00**
15वां वितायोग शीर्ष	2024-25	1525083.00	1261321.00	2786404.00	987172.00	**1799232.00**
अन्य अनुदान	2024-25	341626.40	3629775.10	3971401.50	3734727.50	**236674.00**
संकलित वित्तीय स्थिति	**2024-25**	**3082882.40**	**4998576.10**	**8081458.50**	**4890944.50**	**3190514.00**

(2) दिनांक 31.03.25 को ग्राम पंचायत बोहनी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के बैंक शेषों के अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत	के सी सी बैंक लम्बलू	2891006192	1154608.00
2	अनुदान (प्लानिंग)	के सी सी बैंक लम्बलू	20072034209	162567.00

3	विधायक क्षेत्र विकास योजना VKVNY	के सी सी बैंक लम्बलू	50062098615	27209.00
4	विकेंद्रीयकित योजना कार्यक्रम SDP	के सी सी बैंक लम्बलू	50059019546	47168.00
5	स्वच्छ भारत अभियान SBM	के सी सी बैंक लम्बलू	50066272874	22.00
6	इन्दिरा आवास योजना (IAY)	के सी सी बैंक लम्बलू	50052223649	22.00
7	केंद्रीय राहत कोष CRF	के सी सी बैंक लम्बलू	50059019807	77.00
8	14 वें वितायोग	पंजाब नेशनल बैंक लम्बलू	1721000100048808	0.00
9	15 वें वितायोग	इंडस इंड बैंक हमीरपुर	100117836339	1799232.00
कुल योग				**3190905.00**

(3) दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार :-

1	स्व: स्त्रोत की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	1154608.00
2	अनुदान की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	236674.00
3	15वें वितायोग की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	1799232.00
4	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का कुल अंतिम शेष	3190514.00
5	**दिनांक 31.03.2025 को असमायोजित राशि (जमा)**	**391.00**
6	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का कुल अंतिम शेष	3190905.00
7	दिनांक 31.03.25 को बैंक ख़ातों का अंतिम शेष	3190905.00
अंतर		**0.00**

(4) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अंतशेष में ₹391 के अंतर का समाधान न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002के नियम 7(3) व 10 (1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान नहीं किया गया था, जिसके कारण दिनांक 31.03.2025 को सलंग्न **परिशिष्ट-1.2** अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अंतिम शेष में **राशि ₹391/-** का अंतर पाया गया, जोकि पंचायत की सच्ची एवं सही वित्तीय स्थिति को नहीं दर्शाता है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 83/2025 दिनांक 03/06/2025 के प्रत्युत्तर में उक्त अंतर की राशि बारे सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा पत्र संख्या 04 दिनांक 03/06/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित रोकड़ बही का बैंक खातों से राशि ₹391/- के अंतर का पता लगाकर अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जाएगा"।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वास्नानुसार अंतर के कारणों की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. सावधिक निवेश :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास पंचायत निधि (स्व: स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 77/2025 दिनाँक 31.05.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में प्रतिउत्तर पत्र संख्या 04 दिनांक 03.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत का अवधि 04/24 से 03/25 के दौरान सावधि जमा योजना में निवेश **शून्य** है।

अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्व:स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बही का नियमानुसार रख-रखाव करके, स्व:स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके तथा निवेश की स्थिति में हि० प्र० प० रा०(वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप 1 में निर्धारित निवेश रजिस्टर का रख-रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹2.37 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली, 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेन्सी की अपेक्षाओं व मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है"।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 77/2025 दिनाँक 31.06.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट-1** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **राशि ₹236674.00** उपयोग हेतू शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 77/2025 दिनाँक 31.06.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या 04 दिनांक 03.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए नियमानुसार उक्त शेष राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा

सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है" |

अंकेक्षण के दौरान प्राप्त विभिन्न अनुदानों के व्यय सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं किये गए, फलस्वरूप अंकेक्षणावधि में कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 77/2025 दिनाँक 31.06.2025 के प्रतिउत्तर की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 04 दिनांक 03.06.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही/अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति अंकेक्षणार्थ उपलब्ध न करवाना :-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार सचिव, ग्राम पंचायत अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार है तथा सचिव, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० शिमला-9 के पत्र संख्या पीसीएच –एच ए (5)सी (15)313/89-4614 -4787 दिनांक 25.04.2007 के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों को सम्बन्धित विकास खण्ड अधिकारी व अन्य स्वीकृति एजेन्सी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई राशियों के स्वीकृति पत्र उपलब्ध करवाएगी ताकि अंकेक्षण के समय सुनिश्चित कर सके कि धन राशि सम्बन्धित स्कीम पर ही खर्च की जा रही है"। किन्तु अंकेक्षण के दौरान अनुदान आदेश/स्वीकृति पत्र अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं किये गए।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 77/2025 दिनाँक 31.06.2025 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 04 दिनांक 03.06.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है, क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता|

अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे एवं प्राप्त अनुदान राशि सम्बन्धित स्कीम पर ही खर्च की गई थी अथवा नहीं ?

अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । इसके अतिरिक्त यह प्रकरण उक्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है।

7. पंचायत राजस्व

7.1 पंचायत का गृहकर/ सम्पत्ति कर राशि ₹0.01 लाख वसूली हेतु शेष:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते)) नियम 2002 के नियम 34 (2) के प्रावधानानुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जाएगी" ।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 77/2025 दिनाँक 31.06.2025 के प्रतिउत्तर में सलंग्न **परिशिष्ट-2** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2025 तक पंचायत का गृहकर/सम्पत्तिकर वसूली हेतु **राशि ₹700.00** शेष थी। अतः गृहकर की राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना राशि ₹9.61 लाख का अनियमित भुगतान करना :-

"हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी. आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि० प्र० की अनुपालना में अब ठेकेदार / विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा" ।

अंकेक्षण अवधि 04/2024 से 03/2025 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि के बिलों के साथ उक्त फार्म सलंग्न नहीं थे। परिणामस्वरुप आपूर्तिकर्ताओं को **परिशिष्ट- 3** अनुसार **राशि ₹961331.76** का अनियमित भुगतान किया गया था।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 83/2025 दिनांक 03/06/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 04 दिनांक 03.06.2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त ट्रांजिट पास फार्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फार्म एक्स सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से नहीं लिए गए हैं, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार लेकर ही भुगतान किया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को किया गया सम्पूर्ण भुगतान नियमों एवं समय-2 पर जारी निर्देशों के विपरीत एवं अनियमित प्रतीत होता है |

अत: उक्त राशि के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अथवा इस प्रकरण को सम्बंधित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.2 संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर जी. एस. टी. टी. डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.25 लाख का अधिक भुगतान करना :-

"हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एकल अनुबंध के अन्तर्गत ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. +1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति सलंग्न **परिशिष्ट- 4** अनुसार राशि ₹1249497.00 (जी.एस.टी. को छोड़कर) का भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर **राशि ₹24989.94** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 83/2025 दिनांक 03/06/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 04 दिनांक 03/06/2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार बनती जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों से नही की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा | प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: जी.एस.टी.(टी.डी.एस.). की कटौती न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए, अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा अंकेक्षण अवधि हेतु नियमानुसार देय अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

9.1 मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत करवाए गये निर्माण कार्य हेतु राशि ₹0.12 लाख का अधिक भुगतान करना:-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 44 के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत के प्रधान और सम्बद्ध सचिव द्वारा निधि से व्यय उपगत या प्राधिकृत करते समय वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों को प्रत्येक स्तर पर कड़ी मितव्ययिता के साथ अनुपालन करेंगे"।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि सलंग्न **परिशिष्ट-5** अनुसार **राशि ₹11905.00** रेत व जीआई शीट, के पारदर्शी लेखांकन के अभाव में ग्राम पंचायत द्वारा अनियमित/अधिक भुगतान किया गया था।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 83/2025 दिनांक 03/06/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 04 दिनांक 03/06/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अधिक भुगतान की वसूली करके आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत किये गए अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके अंकेक्षण में अपेक्षित अभिलेख सत्यापनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये तथा ऐसे मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु निर्माण कार्यों की नमूना जांच एवं सत्यापना नियमानुसार उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा की जानी भी सुनिश्चित की जाए।

9.2 पत्थर की खरीद में रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के कारण ₹0.05 लाख का अधिक भुगतान करना:-

हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्कस स्पेसिफिकेशन अध्याय-2 के पैरा 2.1.2.13 के अनुसार बजरी की आपूर्ति पर 6 एम.एम. से लेकर 20 एम.एम. तक 5% व 25 एम.एम. से लेकर 40 एम.एम. तक 10% तथा पत्थरों की आपूर्ति पर 63 एम.एम. से लेकर 75 एम.एम. तक 12.5% की दर से रिक्तियों (Voids) की कटौती उपरान्त भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पत्थरों (stones) की खरीद हेतु सलंग्न **परिशिष्ट-6** अनुसार राशि ₹37040/- का कुल भुगतान किया गया, लेकिन आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व रिक्तियां (Voides) की कटौती न करने के कारण **राशि ₹4630/-** का अधिक भुगतान किया गया था।

ग्राम पंचायत द्वारा अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 83/2025 दिनांक 03/06/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र 04 दिनांक 03/06/2025 द्वारा स्पष्ट किया कि उक्त पत्र में वर्णित पत्थर (stone) की खरीद पर रिक्तियों (voids) की कटौती नहीं की गई है, लेकिन इसके भुगतान की वसूली करने उपरान्त पंचायत निधि में जमा करवा दिया जायेगा।

अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के फलस्वरूप की गई अधिक भुगतान राशि के जमा व इन्द्राज उपरान्त अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

9.3 राशि ₹1.92 लाख के व्यय के समर्थन में माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को वांछित सुसंगत अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार होगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित मास 05/2024 में सलंग्न **परिशिष्ट-7** अनुसार कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों के अन्तर्गत राशि **₹191809.00** का भुगतान किया गया था, जिसके सन्दर्भ में अधियाचना संख्या 83/2025 दिनांक 03/06/2025 द्वारा माप पुस्तिकाओं को सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

सचिव द्वारा पत्र 04 दिनांक 03/06/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त पत्र में वर्णित माप पुस्तिकाओं को अगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना गम्भीर आपत्तिजनक है | परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जांच नहीं हो सकी |

अतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(iii) की अनुपालना सहित अपेक्षित अभिलेख अन्केक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाए।

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख / रजिस्टरों का अनुसरण करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न अभिलेख/रजिस्टरों का रख-रखाव नहीं किया गया था, इस प्रकार लेखांकन प्रक्रिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के रिसन (leakage) दुर्विनियोजन अथवा दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपतिजनक है।

हि०प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002			
क्रम संख्या	**रजिस्टर / अभिलेख**	**फार्म संख्या**	**संदर्भित नियम**
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33
3	बजट प्राकलन रजिस्टर	11	37
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
6	गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो से सम्बंधित अभिलेख का रजिस्टर	30	89
7	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
8	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	--	101 (2) (v)
9	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य)नियम 1997			
1	रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर	2	34
2	विकास कार्य निष्पादन रजिस्टर	7	34
3	अनुदान रजिस्टर	8	34
4	अचल संपत्ति रजिस्टर	11	34

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 77/2025 दिनांक 31.05.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए आग्रह किया गया, जिसके प्रतिउतर में, सचिव द्वारा अपने पत्र 04 दिनांक 03/06/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में सभी रजिस्टरों को तैयार करके आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

11 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के स्टोर/स्टॉक का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल के तहत खरीदी गई सामग्री की तिथि विशेष को भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 77/2025 दिनांक 31.05.2025 की अनुपालना में पत्र संख्या 04 दिनांक 03/06/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 तक स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है जिसे भविष्य में नियमानुसार सत्यापित करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उतर तथ्य रहित होने के कारण मान्य नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये गए स्टोर / स्टॉक के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की संभावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाकर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:**- इसे अलग से जारी नहीं किया गया है अपितु समय-2 पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं/नियम प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुये छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

13 **निष्कर्ष:**- लेखों में सुधार और ठोस कदम उठाने की नितान्त आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

का0/प्रति

01 AUG 2025
5066-5070

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)132/2025 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत बोहनी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

का0/प्रति

परिशिष्ट '1' पैरा संख्या '4' में संदर्भित

ग्राम पंचायत बोहनी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, 177001						
वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रमांक संख्या	विवरण	आरंभिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	शेष राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत	1216173.00	107480.00	1323653.00	169045.00	**1154608.00**
2	अनुदान (प्लानिंग)	41454.00	327719.00	369173.00	206606.00	**162567.00**
3	विधायक क्षेत्र विकास योजना VKVNY	299989.00	65644.00	365633.00	338424.00	**27209.00**
4	विकेंद्रीयकित योजना कार्यक्रम SDP	32.00	70491.00	70523.00	23702.00	**46821.00**
5	स्वच्छ भारत अभियान SBM	22.00	0.00	22.00	22.00	**0.00**
6	इन्दिरा आवास योजना (IAY)	22.00	0.00	22.00	22.00	**0.00**
7	केंद्रीय राहत कोष CRF	72.00	5.00	77.00	0.00	**77.00**
8	14 वें वितायोग	35.40	0.00	35.40	35.40	**0.00**
9	15 वें वितायोग	1525083.00	1261321.00	2786404.00	987172.00	**1799232.00**
10	मनरेगा	0.00	3165916.10	3165916.10	3165916.10	**0.00**
कुल योग		**3082882.40**	**4998576.10**	**8081458.50**	**4890944.50**	**3190514.00**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत बोहनी
विकास खण्ड हमीरपुर/बमसन
तह0 व जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

परिशिष्ट 1.1 पैरा संख्या 4 में संदर्भित				
ग्राम पंचायत बोहनी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, 177001				
दिनांक 31.03.25 को बैंक का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-				
क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत	के सी सी बैंक लम्बलू	2891006192	1154608.00
2	अनुदान (प्लानिंग)	के सी सी बैंक लम्बलू	20072034209	162567.00
3	विधायक क्षेत्र विकास योजना VKVNY	के सी सी बैंक लम्बलू	50062098615	27209.00
4	विकेंद्रीयकित योजना कार्यक्रम SDP	के सी सी बैंक लम्बलू	50059019546	47168.00
5	स्वच्छ भारत अभियान SBM	के सी सी बैंक लम्बलू	50066272874	22.00
6	इन्दिरा आवास योजना (IAY)	के सी सी बैंक लम्बलू	50052223649	22.00
7	केंद्रीय राहत कोष CRF	के सी सी बैंक लम्बलू	50059019807	77.00
8	14 वें वितायोग	पंजाब नेशनल बैंक लम्बलू	1721000100048808	0.00
9	15 वें वितायोग	इंडस इंड बैंक हमीरपुर	100117836339	1799232.00
	कुल योग			3190905.00

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत बोहनी
विकास खण्ड बमसन
तह0 व जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

परिशिष्ट 1.2 पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बोहनी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, 177001

दिनांक 31.03.25 को बैंकों व रोकड़ बहियों के अंतशेष के अंतर का विवरण निम्नानुसार है:-

1	2	3	4	5	7	8	9	10
क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	खाता संख्या	खाता नंबर	बैंक खातों का अंत शेष राशि (₹)	रोकड़ बहियों का अंत शेष (₹)	हस्तगत राशि (₹)	रोकड़ बहियों का शुद्ध अंत शेष (₹)	अंतर (₹)
1	स्व: स्त्रोत	के सी सी बैंक लम्बलू	2891006192	1154608.00	1154608.00	**0.00**	**1154608.00**	0.00
2	अनुदान (प्लानिंग)	के सी सी बैंक लम्बलू	20072034209	162567.00	162567.00	**0.00**	**162567.00**	0.00
3	विधायक क्षेत्र विकास योजना VKVNY	के सी सी बैंक लम्बलू	50062098615	27209.00	27209.00	**0.00**	**27209.00**	0.00
4	विकेंद्रीयकित योजना कार्यक्रम SDP	के सी सी बैंक लम्बलू	50059019546	47168.00	46821.00	**0.00**	**46821.00**	347.00
5	स्वच्छ भारत अभियान SBM	के सी सी बैंक लम्बलू	50066272874	22.00	0.00	**0.00**	**0.00**	22.00
6	इन्दिरा आवास योजना (IAY)	के सी सी बैंक लम्बलू	50052223649	22.00	0.00	**0.00**	**0.00**	22.00
7	केंद्रीय राहत कोष CRF	के सी सी बैंक लम्बलू	50059019807	77.00	77.00	**0.00**	**77.00**	0.00
8	14 वें वितायोग	पंजाब नेशनल बैंक लम्बलू	1721000100048808	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00
9	15 वें वितायोग	इंडस इंड बैंक हमीरपुर	100117836339	1799232.00	1799232.00	**0.00**	**1799232.00**	0.00
कुल योग				**3190905.00**	**3190514.00**	**0.00**	**3190514.00**	**391.00**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत बोहनी
विकास खण्ड बमसन
तह० व जिला हमीरपुर (हि०प्र०)

17

परिशिष्ट 1.3 पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बोहनी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, 177001		
दिनांक 31.03.2025 को वितीय स्थिति का अंत शेष		
1	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का अंतिम शेष	3190514.00
2	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	3190905.00
अन्तर		**391.00**
दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी		
1	स्व: स्त्रोत की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	1154608.00
2	अनुदान की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	236674.00
3	15वें वितायोग की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	1799232.00
4	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का **कुल** अंतिम शेष	**3190514.00**
5	दिनांक 31.03.2025 को **असमायोजित** राशि **(जमा)**	**391.00**
6	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का कुल अंतिम शेष	**3190905.00**
7	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	3190905.00
अंतर		**0.00**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत बोहनी
विकास खण्ड बमसन
तह0 व जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

19

8

19

परिशिष्ट 2 पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बोहनी, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर

(01.04.2024 से 31.03.2025)

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक **गृह कर** की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2024-2025	0	500	50	25000	25000	24300	**700**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत बोहनी
विकास खण्ड बमसन
तह0 व जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

20

परिशिष्ट 'ड' पैरा संख्या 8.1 में सन्दर्भित

ग्राम पंचायत बोहनी, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर

आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना भुगतान करने वारे (01.04.2024 से 31.03.2025)

क्रम संख्या	निधि	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	विक्रेता का नाम व पता	सामग्री	मात्रा cum	कुल भुगतान राशि
1	MGNREGA	C/o Panchvati near Shamshanghat Vill Mulana Phase 1	404	Vinay Trading Company,Vill Kallar, Hamirpur	Agg.	29	40500
			405		Agg.	29	40500
			406		Sand	25	35000
			406		Stone	5	6250
2	MGNREGA	C/o Land Dev and R/Wall near the house of Rajeev Kumar S/o Hari Ram Vill Bohni	410		Agg.	6	8400
			410		Sand	5	7000
4	MGNREGA	C/o Land Dev and R/Wall near the house of Piar Chand S/o Sita Ram Vill Mulana	412		Agg.	6.2	8680
			412		Sand	5	7000
5	MGNREGA	C/o Land Dev and R/Wall near the house of Raj Kumar Vill Mulana	408		Agg.	6	8680
			408		Sand	5	7000
6	MGNREGA	C/o Land Dev and R/Wall near the house of Kamal Bhushan Vill Chhiyorin	401		Agg.	6	8400
			401		Sand	3.75	5250
8	MGNREGA	C/o Land Dev and R/Wall near the house of Madan Lal S/o Munshi Ram Vill Bohni	409		Agg.	6.2	8680
			409		Sand	5	7000
9	MGNREGA	C/o Land Dev and R/Wall near the house of Vijay Kumar S/o Munshi Ram Vill Mulana	413		Agg.	6.2	8680
			413		Sand	5	700
10	MGNREGA	C/o RTWH tank near the house of Desh Raj S/o Bhagat Ram Vill Gudhwin	428		Agg.	12	15999.96
			428		Sand	6	7999.98
11	MGNREGA	C/o Land Dev and R/Wall near the house of Karam Chand S/o Kartar Chand Vill Gudhwin	429		Agg.	6	7999.98
			429		Sand	6	7999.98
12	MGNREGA	C/o Land dev and R/Wall near the house of Ravinder Singh S/o Guman Singh Vill Chheyorin	430		Agg.	5	6666.65
			430		Sand	5	6666.65
13	MGNREGA	C/o Land Dev and R/Wall near the house of Vipan Kumar S/o Gian Chand Vill Bohni	431		Agg.	6	7999.98
			431		Sand	6	7999.98
14	MGNREGA	C/o Land Dev and R/Wall near the house of Kuldeep Singh S/o Gian Singh Vill Bohni	434		Agg.	5	6666.65
			434		Sand	4.5	5999.98
15	MGNREGA	C/o Land Dev and R/wall Near the house of Ram Chand S/o Kiralu Ram Vill Bohni	432		Agg.	6	7999.98
			432		Sand	6	7999.98
16	MGNREGA	C/o Land Dev and R/Wall near the house of Rajeshwar singh Vill Chhiyorin	433		Agg.	5	6666.65
			433		Sand	5	6666.65
17	MGNREGA	C/o P/Wall near the house of Rakesh Kumar Vill Bohni	403		Agg.	6.5	9100
			403		Sand	6	8400
19	MGNREGA	C/o Cattle Shed near the house of Mansukh Ram Vill Bohni	246		Agg.	12.5	17500
			246		Sand	6.5	9750
20	MGNREGA	C/o Land Dev and R/Wall near the house of Joginder Pal S/o Punu Ram Vill Bohni	248		Agg.	6	8400
			248		Sand	6	9000
21	MGNREGA	c/o Land Dev and R/Wall near the house of Ajay Kumar S/o Ram Kishan Vill Mulana	249		Agg.	6	8400
			249		Sand	6	9000
22	MGNREGA	C/o Land Dev and R/Wall near the house of Tejinder Singh S/o Flatu Ram Vill Bohni	247		Agg.	6	8400
			247		Sand	6	9000
23	MGNREGA	C/o Land Dev and R/Wall near the house of Somesh Kumar S/o Parjeet Singh Vill Chhiyorin	254		Agg.	6	8400
			254		Sand	6	9000
24	MGNREGA	C/o Land Dev and R/Wall near the house of Praveen Kumar S/o Diwan Chand Vill Mulana	252		Agg.	6	8400
			252		Sand	6	9000
25	MGNREGA	C/o Land Dev and R/Wall near the house of Rajesh Kumar S/o Ramji Dass Vill Bohni	253		Agg.	6	8400
			253		Sand	6	9000
			402		Agg.	6	8400
			402		Sand	6	8400

21

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत......बोहनी........
विकास खण्ड बमसन
तह0 व जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

26	MGNREGA	C/o Land Dev and R/Wall near the house of Barfi Devi W/o Anant Ram Vill Bohni	251		Agg.	6	8400
			251		Sand	6	9000
27	MGNREGA	C/o Cattle Shed near the house of Neelam Kumar S/o Setu Ram Vill Mulana	255		Agg.	6	8400
			255		Sand	6	9000
28	MGNREGA	C/o Land Dev and R/Wall near the house of Pritam Chand S/o Ram sharan Vill Gudhwin	256		Agg.	6	8400
			256		Sand	6	9000
29	MGNREGA	C/o Land Dev and R/Wall near the house of Krishan Chand S/o Damoder Dass Vill Bohni	257		Agg.	6	8400
			257		Sand	6	9000
30	MGNREGA	C/o Land Dev and R/Wall near the house of Uttam Singh S/o Jai singh Vill Bohni	258		Agg.	6	8400
			258		Sand	6	9000
			435		Agg.	5	6666.65
			435		Sand	4.5	5999.98
31	MGNREGA	C/o P/Wall near the house of Raj Kumar S/o Bhalkhu Ram Vill Bohni	260		Agg.	6	8400
			260		Sand	6	9000
32	MGNREGA	C/o Land Dev and R/Wall near the house of Ajit Kumar S/o Bakshi Ram Vill Gudhwin	259	VINAY TRADING COMPANY, VILL- KALLAR, HAMIRPUR,	Agg.	6	8400
			259		Sand	6	9000
33	MGNREGA	C/o P/Wall near the house of Pawan Kumar S/o Bhagwan Dass Vill Bohni	261		Agg.	6	8400
			261		Sand	6	9000
34	MGNREGA	C/o Land Dev and R/Wall near the house Karan Singh S/o Puran singh Vill Bohni	250		Agg.	4.5	6300
			250		sand	4.5	6750
35	MGNREGA	C/o Land Dev and R/Wall near the house of Pawan Kumar S/o Daya Ram Vill Gudhwin	262		Agg.	6	8400
			262		Sand	6	9000
36	MGNREGA	C/o Land Dev and R/Wall near the house of Man Chand S/o Anant Ram Vill Gudhwin	263		Agg.	6	8400
			263		Sand	6	9000
37	MGNREGA	C/o Land Dev and R/Wall near the house of Hem Raj S/o Chaudhary Ram Vill Gudhwin	264		Agg.	6	8400
			264		Sand	6	9000
38	MGNREGA	C/o Land Dev and R/Wall near the house of Jagdish Chand Vill Gudhwin	265		Agg.	6	8400
			265		Sand	6	9000
39	MGNREGA	C/o P/Wall near the house of Ranjeet S/o Munshi Ram Vill Bohni	266		Agg.	6	8400
			266		Sand	6	9000
40	MGNREGA	C/o P/Wall near the house of Sunil Kumar S/o Gian Chand Vill Mulana	268		Agg.	6	8400
			268		Sand	6	9000
41	MGNREGA	C/o Land Dev and R/Wall near the house of Ramesh S/o Dalipa Ram Vill Mulana	267		Agg.	6	8400
			267		Sand	6	9000
42	MGNREGA	C/o Cattle Shed near the house of Anant Ram S/o Kirpa Ram Vill Mulana	269		Agg.	6	8400
			269		Sand	6	9000
43	MGNREGA	C/o P/Wall near the house of Pushap Raj S/o Jaisi Ram Vill Mulana	270		Agg.	6	8400
			270		Sand	6	9000
44	MGNREGA	C/o Link road from Amar Nath house towards Rakesh Kumar house Vill Bohni	225		Agg.	5	7000
			225		Stone	25.66	30790
			226		Sand	29.57	44362.08
45	VKVNY	C/o Path from main road towards Tejinder Singh hous	416		agg.	7	9800
			416		Sand	11.4	15960
46	VKVNY	c/o path from piar chand house towards shamshanghat mulana	415	22	Sand	11	15400
			415		agg.	10	14000
47	VKVNY	c/o path from main road towards Hari singh house vill bohni	417		Sand	5.5	7700
			417		agg.	7	9800
			Total				**961331.76**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत......
विकास खण्ड
तह0 व जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

परिशिष्ट '4' पैरा संख्या 8.2 में संदर्भित					
ग्राम पंचायत बोहनी, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर					
(जी.एस.टी.टी.डी.एस.) की वसूली न करने वारे (01.04.2024 से 31.03.2025)					
क्रम संख्या	वर्ष	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	कुल राशि (₹)	जी.एस.टी.(टी.डी.एस.) की कटौती राशि (₹)
1	01-04-2024 to 31-03-2025	Vinay Trading Company,Vill Kallar, Hamirpur	Sand,Aggregate, cut stone , shuttering ,brick,sign board	1249497	24989.94
TOTAL				**1249497**	**24989.94**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत.........
विकास खण्ड.........
तह0 व जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

23

परिशिष्ट '5' पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित				
ग्राम पंचायत बोहनी, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर				
1. निर्माण कार्य का नाम :- निर्माण दिवार श्री मति बर्फी देवी गाँव बोहनी निधि का नाम -मनरेगा				
स्वीकृत राशि -50000/-				
कुल खर्च राशि - 49000/-				
मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा घन मीटर	रूपांतरण कारक	रेत (घन मीटर)
MB-208 61	1:5:10	9.22	0.47	4.33
कुल योग				4.33
बिल संख्या-251 के अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा				6
अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री				1.67
क्रय दर				1500.00
अधिक भुगतान				2505
कुल अधिक भुगतान राशि				**2505**

2. निर्माण कार्य का नाम :- कैटल शेड, राज कुमार गाँव गुदवी निधि का नाम -मनरेगा				
स्वीकृत राशि -95000/-				
कुल खर्च राशि - 82779/-				
मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा वर्ग मीटर	रूपांतरण कारक किलो ग्राम	जीआई शीट
MB-3516 42, 43	जीआई शीट	0	0	0
कुल योग				0
बिल संख्या-5622 के अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा (KG)				110.58
अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री				110.58
क्रय दर				85
अधिक भुगतान				9399.3
कुल राशि				**9400/-**
कुल अधिक भुगतान राशि				**11905/-**

24

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत...... बोहणी
विकास खण्ड हमीरपुर / बमसन
तह0 व जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

परिशिष्ट '6' पैरा संख्या 9.2 में संदर्भित (25)

ग्राम पंचायत बोहनी, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर								
पत्थर की खरीद में रिक्तियों (voids) की कटौती न करने वारे								
क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	फार्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मात्रा घन मीटर	कुल भुगतान (₹)	कटौती दर %	रिक्तियां (Voids)(₹)
1	MNREGA	C/o Panchvati near Shamshanghat Vill Mulana Phase 1	Rajat Pathania, Vill Dhalot, Hamirpur	Boulder	5	6250	12.5	781.25
2	MNREGA	C/o Link road from Amar Nath house towards Rakesh Kumar house Vill Bohni		Boulder	25.66	30790	12.5	3848.75
Total						**37040**	**12.5**	**4630.00**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत......बोहनी
विकास खण्ड हमीरपुर/बमसन
तह0 व जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

परिशिष्ट 7 पैरा संख्या 9.3 में संदर्भित			
ग्राम पंचायत बोहनी, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर			
माप पुस्तिका प्रस्तुत न करने बारे			
क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	MNREGA	C/o panchvati near of shamshanghat, vill mulana	162977
2	MNREGA	C/o link road from amar nath house to rakesh kumar house vill bohni	28832
Total			191809

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत.......बोहनी
विकास खण्ड बमसन
तह0 व जिला हमीरपुर (हि0प्र0)